न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर
(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 40/2013 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2013/00022)

1. गोपाल पुत्र हरभजन जाति गूजर
2. देवेन्द्र पुत्र गोपाल जाति ब्राहमण
3. श्यामा उर्फ श्याम पुत्र कान्हा जाति ब्राहमण

निवासीयान कामां तहसील कामां जिला भरतपुर।

..............अपीलान्ट

बनाम

1. मंदिर मूर्ति गोविन्ददेव जी महाराज विराजमान कस्बा कामां जरिये अंजन कुमार देव गोस्वामी सेवारत मैनेजर एकल प्रन्यासी मंदिर। **...........असल रैस्पोडेन्ट**
2. रामचरन (मृतक)
   2/1 विसराम
   2/2 सियाराम
   पुत्रान रामचरन — जाति गूजर निवासीयान कामां तहसील कामां जिला भरतपुर।
3. रामजीलाल पिस0 हरभजन जाति गूजर निवासीयान कामां जिला भरतपुर।
4. गजेन्द्र उर्फ तेजन्द्र पुत्र गोपाल जाति ब्राहमण निवासी कामां जिला भरतपुर।
5. बृजेन्द्र पुत्र गोपाल प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी कामां जिला भरतपुर।

...........तरतीबी रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश तहसीलदार कामां जिला भरतपुर दिनांक 04.09.2013 बाबत नामान्तरकरण संख्या 3557 दिनांक 22.01.2004 वाकै कस्बा कामां उनवानी गोपाल आदि बनाम मंदिर मूर्ति गोविन्ददेव जी महाराज प्र0सं0 11/2012

उपस्थितिः–

1. श्री हनुमान प्रसाद वकील अपीलान्ट।
2. श्री श्यामबाबू पारीक वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः– 27.09.2022

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार कामां जिला भरतपुर के निर्णय दिनांक 04.09.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 3557 दिनांक 22.01.2004 वाकै कस्बा कामां नम्बर 1 को अपीलान्ट के बजाय जरिये आदेश जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 30.3.2003 एवं देवस्थान विभाग के शासन सचिव की आज्ञा दिनांक 06.03.2003 एवं मुख्य सचिव राजस्थान सरकार की आज्ञा दिनांक 15.03.2003 की अनुपालना में अप्रार्थी के नाम स्वीकृत हुआ था। उक्त नामान्तकरण के विरूद्ध प्रार्थीगण ने अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग के समक्ष अपील संख्या 48/2010 पेश की गई जो अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीग द्वारा दिनांक 14.03.2012 को स्वीकार की जाकर पुनः जांच कर दोनों पक्षों को सुनकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप पुनः न्याय संगत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड की गई। अति0 कलक्टर डीग के रिमाण्ड निर्णय दिनांक 14.03.2012 की पालना में तहत अदालत तहसीलदार कामां द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.09.2013 के अंतर्गत यह आज्ञा पारित की गई कि विभिन्न न्यायालयों में मन्दिर की आराजी से संबधित वाद

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

विचाराधीन है इसलिऐ अन्य वादों के निस्तारण तक नामान्तरकरण संख्या 3557 दिनांक 22.01.2004 में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाये ताकि नये वाद (प्रकरण) पैदा हो और नामान्तरकरण संख्या 3557 दिनांक 22.01.2004 यथावत रखा गया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट द्वारा मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है क्योंकि तहसीलदार कामां ने अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग द्वारा अपील संख्या 48/2010 में पारित आदेश दिनांक 14.03.2012 में दिये गये निर्देशों की कोई पालना नहीं कर, केवल सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अवैधानिक है। अदालत मातहत ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया कि कमिश्नर राजस्थान के निर्णय दिनांक 29.02.1960 जिसके अनुसार अपीलान्ट एवं तरतीवी रैस्पोडेन्टस को खातेदारी दी गई थी और असल रैस्पोडेन्ट द्वारा उसको कोई चुनौती नहीं दी गई थी और मौके पर अपीलान्टान एवं तरतीवी रैस्पोडेन्टस का कब्जा है और राजस्व रिकार्ड में खातेदार है। इसके बाबजूद भी अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.09.2013 पारित किया है जो काबिले मंसूखी है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि नामान्तकरण संबंधी कार्यवाही एक फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसके माध्यम से पक्षकारों के अधिकार तय नहीं किये जा सकते है।तहसीलदार कामां के समक्ष अपीलान्टान द्वारा यह तर्क भी दिया था कि उपखण्डाधिकारी कामां एवं राजस्व मण्डल अजमेर में विवादित भूमि के संबंध में मुकदमा विचाराधीन है फिर भी बिना सक्षम न्यायालय के अधिकार तय किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो काबिले मंसूखी है। अदालत मातहत ने भी अपीलाधीन निर्णय में यह माना है कि अन्य वाद अपीलान्टान एवं असल रैस्पोडेन्ट के मध्य उपखण्डाधिकारी कामां एवं राजस्व मण्डल अजमेर में पेन्डिग है तो दाखिल खारिज बाबत् कोई भी आदेश नहीं दिया जा सकता था और न ही तहसीलदार कामां को अपीलान्टान के हक में हुये खातेदारी के इन्द्राज को बदल कर रैस्पोडेन्ट असल के हक में दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं था। इसके बाबजूद दाखिल खारिज संख्या 3557 दिनांक 22.01.2004 के अस्तित्व में रखने से अपीलान्टान की खातेदारी समाप्त हो जाती है। तहत अदालत ने दाखिल खारिज संख्या 3557 को पढा तक नहीं है और इस दाखिल खारिज से खातेदार अपीलान्टान एवं तरतीबी रैस्पोडेन्टस के नाम को काटकर रैस्पोडेन्ट असल के हक में की गई है। जबकि सक्षम न्यायालय में वाद के पेन्डिग रहते हुये अपीलान्टान के हक में दाखिल खारिज के कॉलम संख्या 7 में दर्ज आराजी वादग्रस्त की बाबत खातेदारी के इन्द्राज को बदस्तूर रखना चाहिए था। क्योंकि अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग द्वारा नामा0 संख्या 3557 को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार कामां को प्रेषित किया था। जब न्यायालय तहसीलदार ने खातेदारी अपीलान्टान के बदलने के इस इन्द्राज को अपीलान्टान एवं तरतीबी रैस्पोडेन्ट को बदल दिया और असल रैस्पो0 के नाम दर्ज कर दिया तो फिर दावा में तय करने को कोई विवाद बिन्दु ही नहीं रहता है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय मनमाना

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

है एवं क्षेत्राधिकार बाहर है। तहत अदालत द्वारा अपीलधीन आदेश नियम विरूद्ध तरीके से रिकार्ड के विपरीत जाकर पारित किया है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि यद्यपि उक्त भूमि पूर्व में मंदिर की थी परन्तु इस आराजी पर मंदिर का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। सन् 1952 के पूर्व से ही अपीलान्ट के पिता काश्त करते रहे है तथा उनकी मृत्यु के बाद से अपीलान्टस का कब्जा काश्त है। उक्त भूमि की सम्वत् 2012 में अपीलान्ट को खातेदारी प्राप्त हो चुकी थी जो सही है उसे निरस्त करने के अधिकार नहीं है। क्योंकि कमिश्नर राजस्थान द्वारा आदेश दिनांक 29.2.1960 के द्वारा अपीलान्ट को खातेदारी दी है जो विधि अनुसार है इसे असल रैस्पोडेन्ट के द्वारा कभी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में नामान्तकरण संख्या 3557 दिनांक 22.1.2004 विधि विरूद्ध है। इस आधार पर वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार कामां का निर्णय दिनांक 04.09.2013 एवं दाखिल खारिज संख्या 3557 दिनांक 22.01.2004 निरस्त किया जावे एवं अपीलान्टान के नाम दाखिल खारिज संख्या 3557 दिनांक 22.01.2004 से पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए वकील रैस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही पारित किया गया है। जिसमें कोई विधिक त्रुटी नहीं होने के कारण किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। क्योंकि तहसीलदार कामां द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग के रिमाण्ड आदेश दिनांक 14.03.2012 की पालना में उभय पक्षकारान की सुनवाई उपरान्त वाद परीक्षण अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि नियमानुसार है। वकील रैस्पों0 यह भी तर्क दिया है कि अपीलान्ट द्वारा कमिश्नर राजस्थान के आदेश दिनांक 29.02.1960 जिसके तहत अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है। उस आदेश की प्रति न तो अदालत मातहत में और न ही अदालत हाजा में प्रस्तुत की गयी है। जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट जागीर अधिग्रहण अधिनियम के समय भूमि के न तो खातेदार थे, न पट्टेदार, न खादिमदार। ऐसी स्थिति में परिपत्र दिनांक 24.05.2007 का लाभ अपीलान्ट को नहीं दिया जा सकता है। मूर्ति मंदिर शास्वत नावालिग है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के तहत नावालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी नहीं दी जा सकती है। मूर्ति के हितों की रक्षा करना अदालत का दायित्व है। कमिश्नर राजस्थान की आज्ञा पत्रावली पर नहीं है, वैसे भी अगर इस तरह का कोई आदेश है तो वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46, 15 में वर्णित प्रावधानों के विरूद्ध होने के कारण क्षेत्राधिकार के बाहर है। मूर्ति मंदिर की भूमि के संबध में वर्तमान में न्यायालय उपखण्डाधिकारी कामां एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण विचाराधीन चल रहे है। ऐसी स्थिति में जब विभिन्न न्यायालयों में मंदिर की आराजी से संबधित वाद विचाराधीन है तो अन्य वादों के निस्तारण तक नामान्तकरण संख्या 3557 दिनांक 22.01.2004 में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना ही न्यायिक रहता है ताकि प्रकरण में बहुवाद पनपने की संभावना को समाप्त किया जा सके और भूमि को खुर्दबुर्द होने से रोका जा सके। तहसीलदार कामां द्वारा भी अपने अपीलाधीन

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

आदेश में प्रकरण के वास्तविक तथ्यों से रूबरू होते हुये ही नामान्तकरण संख्या 3557 दिनांक 22.01.2004 को यथावत रखे जाने के आदेश पारित किये है जो प्रकरण के तथ्यों के मध्यनजर न्यायोचित रहते है। वकील रैस्पों0 ने यह भी तर्क दिया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की अनुसूची तृतीय में शक्तियां दी हुई है, जिनमें प्रतिबंधित भूमि की खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। मंदिर की भूमि की किसी भी व्यक्ति को खातेदारी नहीं दी जा सकती है। इस तरह के कई निर्णय उच्च न्यायालयों द्वारा पारित किये गये हैं। मंदिर की भूमि पर किये जाने वाले निर्माण कार्यों के संबंध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही किये जाने के अधिकार भी दिये गये हैं। यदि नामान्तरकरण संख्या 3557 के पूर्व की स्थिति रखी जाती है तो अपीलान्ट द्वारा खातेदारी की आड में विवादित भूमि को बेचान किये जाने की पूर्ण संभावना है। इसलिए अदालत मातहत द्वारा सक्षम न्यायालय से निर्णय होने तक नामान्तकरण को यथावत रखे जाने का जो आदेश पारित किया गया है उसमें किसी तरह की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.09.2013 यथावत रखा जावे।

रिव्यूटल में वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि प्रकरण विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लंबित है तथा विवादित भूमि मंदिर के नाम नहीं होकर अपीलान्ट के नाम दर्ज है। तहसीलदार द्वारा जल्दवाजी में गलत तथ्यों के आधार पर मंदिर के नाम नामान्तकरण खोला गया है तथा अपील में नामा0 निरस्त किये जाने के बाबजूद भी उक्त नामा0 यथावत रखे जाने का नियम विरूद्ध आदेश पारित किया है। जो कि उचित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.09.2013 निरस्त किया जावे तथा नामा0 संख्या 3557 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल किये जाने के आदेश पारित किये जावे।

अपीलान्ट व रैस्पों0 की विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार कामां द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.09.2013 अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग की ओर से अपील संख्या 48/2010 में पारित आदेश दिनांक 14.03.2012 में दिये गये आदेशों की पालना में पारित किया गया है जिसमें अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग ने अपीलान्ट की ओर से नामा0 संख्या 3557 दिनांक 22.01.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर तहसीलदार कामां को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया कि पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप तथा जांच कर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट व रैस्पों0 को दिनांक 24.06.2013 को नोटिस जारी कर दिनांक 30.07.2013 को उपस्थित होकर साक्ष्य/सबूत पेश करने का उल्लेख किया जिसकी पालना में अपीलान्ट अदालत मातहत में उपस्थित हुए परन्तु किसी तरह का कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत किये जाने का कोई रिकार्ड अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न नहीं है। जहां तक बहस में वर्णित यह तथ्य कि अपीलान्ट को कमिश्नर राजस्थान के आदेश दिनांक 29.02.1960 के द्वारा खातेदारी दी गई है, के संबंध में न तो अदालत मातहत और न ही अदालत हाजा में इस तरह के कोई आदेश की प्रति प्रस्तुत की गयी। दूसरी ओर पटवारी हल्का द्वारा जो नामा0 संख्या 3557 दिनांक 21.01.2004 को खोला गया है वह तहसीलदार कामां के

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

आदेश दिनांक 13.01.2004 की पालना में खोले जाने का उल्लेख उक्त नामा0 के कॉलम संख्या 14 में किया हुआ है। इसकी जांच भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई है जिसमें नामा0 तहसीलदार कामां के आदेश दिनांक 13.01.2004 के अनुरूप होने का उल्लेख किया गया है। इस आधार पर तहसीलदार द्वारा नामा0 संख्या 3557 दिनांक 22.01.2004 को स्वीकृत किया गया है। वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि अदालत मातहत ने अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.03.2012 में दिये गये निर्देशों की पालना नहीं की गई है, उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग ने निर्णय दिनांक 14.03.2012 में तहसीलदार को यह निर्देश देते हुये प्रकरण रिमाण्ड किया है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप जांच कर पुनः निर्णय पारित करें। उक्त प्रकरण में तहसीलदार द्वारा उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी किया गया है तथा साक्ष्य/सबूत पेश करने का भी उचित अवसर दिया गया है। अतः निर्देशों की पालना नहीं किये जाने का तर्क सारहीन हो जाता है। जहां तक अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.09.2013 के गुणावगुणों का प्रश्न है तो अपीलाधीन निर्णय में तहसीलदार कामां ने यह उल्लेख किया है कि विभिन्न न्यायालयों में मंदिर की आराजी से संबंधित वाद विचाराधीन है। अन्य वादों के निस्तारण तक नामा0 संख्या 3557 दिनांक 22.01.2004 में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जावे ताकि नये वाद (प्रकरण) पैदा हों। अदालत मातहत के उक्त अभिमत से हम सहमत है क्योंकि विवादित भूमि जो कि अपीलान्ट के नाम दर्ज है, को सक्षम आदेश से रैस्पो0 के नाम दर्ज किये जाने का नामा0 खोला गया है। रैस्पों0 संख्या-1 मंदिर मूर्ति गोविन्द देव जी महाराज जो कि शाश्वत नाबालिग है, के हितों को संरक्षित करने का दायित्व भूमिधारी के रूप में तहसीलदार का है। अपीलान्ट द्वारा इस तरह का कोई रिकार्ड अदालत हाजा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उनके इस कथन की पुष्टि होती हो कि उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा विवादित आराजी की खातेदारी दी गई है। इसके अलावा यदि सक्षम न्यायालय से अपीलान्ट के पक्ष में किसी तरह का कोई निर्णय होता है तो निर्णय अनुसार नामा0 पुनः खोला जा सकता है। उपरोक्त आधार पर अपीलाधीन निर्णय में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.09.2013 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर